



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)



Phone 0141-2227634, E-mail: jsadmin.rdd@rajasthan.gov.in Website : rdprd.gov.in

क्रमांक: एफ 1(1)ग्रावि/गुप-1/2020/पार्ट

जयपुर, दिनांक

12 OCT 2020


:- आदेश :-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(18)वियो/गुप-1/98/पार्ट-11 दिनांक 01.05.2020 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में डी.आर.डी.ए.-प्रशासन भद में विभिन्न श्रेणी के कुल 916 पदों की अवधि दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102001264 दिनांक 13.03.2020 के अनुसरण में जारी की गई थी। उक्त पदों में राज्य के समस्त जिला परिषद(ग्राविप्र) में परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई) के कुल 33 पद एवं सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) के कुल 33 पद स्वीकृत हैं।

एस.जी.एस.वाई. योजना गत 5 वर्षों से बन्द हो जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 01.05.2020 में सम्मिलित निम्नांकित पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किए जाते हैं :-

1. परियोजना अधिकारी(एस.जी.एस.वाई.) कुल 33 पद (प्रत्येक जिला परिषद, ग्राविप्र में एक-एक पद)
2. सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) कुल 33 पद (प्रत्येक जिला परिषद, ग्राविप्र में एक-एक पद)

यह आदेश वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102004393 दिनांक 28.09.2020 के अनुसरण में जारी किए जाते हैं।

  
(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेंगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, वित्त एवं लेखा, ग्रामीण विकास।
7. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान)।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), समस्त (राजस्थान) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाकर इन पदों के विरुद्ध किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन-भत्ते इत्यादि आहरित नहीं किए जावें।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(मंजु सिंह)  
शासन सचिव